

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 24 जून, 2026

संख्या:1/सी0-1019/2023-सा0प्र0-11345/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-14015/04/2026-एआईएस-1(I)-बी दिनांक 11.06.2026 से राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) के संयुक्त सचिव स्तर में नियुक्ति के उपरान्त निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी.-1009/2026-सा.प्र.-10721 दिनांक 16.06.2026 के अनुसार भा.प्र.से. का प्रभार ग्रहण करने वाले निम्नांकित 14 पदाधिकारियों [जिन्हें भारत सरकार के आदेश 14015/04/2026-एआईएस-1 दिनांक 15.06.2026 द्वारा क्रमांक- 1 से 8 के पदाधिकारियों को बैच वर्ष, 2016 तथा क्रमांक 9 से 14 तक के पदाधिकारियों को बैच वर्ष, 2017 आवंटित है] को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-20011/02/2022-ए आई एस-11 दिनांक 07.10.2023 में निहित मार्गदर्शन के तहत भा0प्र0से0 के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-12-रु.78,800-2,09,200/-) में दिनांक 17.06.2026 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री मृणायक दास (2016)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
2	श्री मनोरंजन कुमार(2016)	निदेशक (प्रशासन), (संयुक्त सचिव स्तर) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
3	श्री विकास कुमार (2016)	संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अतिरिक्त प्रभार- सचिव, बिहार युवा आयोग, पटना)
4	डॉ० गगन (2016)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना (संयुक्त सचिव स्तर), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
5	श्री अंजनि कुमार(2016)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया (संयुक्त सचिव स्तर)
6	मो० इजतबा हुसैन (2016)	संयुक्त सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
7	श्री रजनीश कुमार (2016)	संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
8	श्री विधु भूषण चौधरी(2016)	संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना।
9	मो० वसीम अहमद(2017)	संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
10	श्री कृत्यानन्द रंजन(2017)	संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना
11	मो० राशिद आलम(2017)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पटना (संयुक्त सचिव स्तर)

12	श्री इबरार अहमद खॉं(2017)	संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
13	श्री मनोज कुमार (2017)	संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
14	श्री हेमन्त कुमार सिंह (2017)	संयुक्त सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक : 1/सी0-1019/2023-सा0 प्र0-11345/पटना-15, दिनांक: 24 जून, 2026

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-3, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-3, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-3, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग,कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कार्यालय/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. अधिसूचना के क्रमांक 4 एवं 11 के पदाधिकारियों द्वारा धारित अपर सचिव से भिन्न पदों को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(1) के तहत उनके पदस्थापनकाल तक के लिए अपर सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:—

“Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post.”

सरकार के अवर सचिव ।